न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	23 / [illegible] 2024
15-01-25 [illegible] 10/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी [illegible] वादी [illegible] [illegible] परीक्षण का [illegible] [illegible] किया। [illegible] पत्रावली [illegible] वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 23-1-25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट टेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
23.01.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी की तामील असालतन होकर लोटी है, बावजूद तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी ने बहस सुनी जाने ~~जाने~~ का निवेदन किया, वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:51:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
80 / 2024	2024 / 148	06.06.2024	23.01.2025

उनवान प्रकरण

राकेश कुमार पुत्र कालूराम आयु 31 वर्ष जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 8 टैगारे स्कूल के पीछे कलयाणपुरा थोई तहसील रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना

— वादी —

बनाम्

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राज0

— प्रतिवादी —

उपस्थितः–

श्री रामजीलाल सैनी,, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

दावा बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम सुराणी पटवार हल्का कल्याणपुरा भू.अभि. नि. थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 39, 43 कुल किता–2 कुल रकबा 1.9700 हैक्टर में 1/8 हिस्सा की खातेदारी में वादी का नाम रमेश कुमार पुत्र कालूराम दर्ज है। जबकि वादी का वास्तविक नाम राकेश कुमार पुत्र कालूराम है। वादी के समस्त [illegible] दस्तावेजात आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जन–आधार कार्ड, बैंक [illegible] परिवार राशन कार्ड, डाईविंग लाईसेन्स, शैक्षणिक रिकार्ड [illegible] में राकेश कुमार पुत्र कालूराम दर्ज है

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:51:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पर उक्त वर्णित भूमि मे वादी को घर पर बोलते नाम रमेश कुमार पुकारने को कारण रमेश कुमार दर्ज कर दिया गया एवं वादी का वास्तविक नाम राकेश कुमार ही है एवं यहा यह उल्लेखनीय है कि उक्त वर्णित भूमि के नामानतकरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियो की गफलत व लापरवाही के कारण रमेश दर्ज कर दिया गया . जिससे वादी को सख्त हकतल्फी है एवं वादी को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से मिले वाली सुविधाओं में परेशानी आ रही है। इसलिए वादी का नाम उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी में रमेश कुमार के स्थान पर राकेश कुमार घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक ह। भूमिधारी तहसीलदार व पटवारी हल्का से उपरोक्तानुसार दुस्ती करवाने कहा तो दिनांक 22.05.2024 को इंकार हो गये एवं दावा प्रस्तुत करने एवं दुरूस्ती करवाने बाबत दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादपत्र वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे कि राजस्व ग्राम सुराणी पटवार हल्का कल्याणपुरा भू.अभि.नि. थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 39, 43 कुल किता–2 कुल रकबा 1.9700 हैक्टर में 1/8 हिस्सा की खातेदारी में वादी का नाम रमेश कुमार पुत्र कालूराम के स्थान पर राकेश कुमार पुत्र कालूराम घोषित किया जाकर दुरूस्त किए जाने का निवेदन वकील वादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में किया है।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी स्वंय का मुख्य परीक्षण में वादी राकेश कुमार पुत्र कालूराम का लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुआ। प्रकरण में अंकित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली गई। जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2881/भू.अ./2024 दिनांक 30.10.2022 के द्वारा प्राप्त हुई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से अभिशंषा रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा साक्ष्य वादी में वादी का लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हो जाने से वकील वादी ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:51:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हमनें वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 जमाबन्दी, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, आय प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड, तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट, साक्ष्य वादी में प्रस्तुत साक्ष्य वादी इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकार वादी के नाम हिस्सानुसार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम सुराणी की जमाबंदी संवत 2074–2077 के खाता सं0 418 खसरा नम्बर 39 व 43 किता 2 कुल रकबा 1.97 हैक्टर पर रमेश कुमार पुत्र कालुराम जाति जाट हि0 1/8 वगै0 सा0 झाडली खातेदार अंकित है। राजस्व ग्राम सुराणी के मृतक खातेदार कालुराम पुत्र छोटुराम जाति जाट के विरासत के नामा0 सं0 1176 स्वीकृत दिनांक 20.06.2018 से अमल'–दरामद हुआ है। उक्त नामा0 के संल्न दस्तावेजों ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के दिनांक 18.05.2018 को जारी वारिसनामा मे रमेश कुमार दर्ज है एवं शपथ पत्र मं राकेश नाम दर्ज है। जो कि पठन में स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों राशन कार्ड सं0 008212900512, ड्राईविंग लाइसेंस पंजीकरण सं0 आर0जे0 23/पीडीएल/0018825/2013 दिनांक 10.09.2013, आधार कार्ड सं0 222368683814, पेनकार्ड सं0 डीडीटीपीके8455 जी में प्रार्थी का नाम राकेश कुमार पुत्र कालुराम दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एवं फर्द मौका रिपोर्ट के नामान्तकरण दर्ज करते समय शपथ पत्र की अस्पष्टता के कारण उक्त त्रुटि हुई है। अतः दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं। वादी के दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में राकेश कुमार दर्ज है। राजस्व रिकार्ड के दर्ज नाम रमेश कुमार पुत्र कालुराम व दस्तावेज में अंकित नाम राकेश कुमार पुत्र कालुराम एक ही व्यक्ति का नाम है, अलग-अलग व्यक्ति नहीं है। राजस्व रिकार्ड ग्राम सुराणी पटवार हल्का कल्याणपुरा के खाता सं0 39 व 43 में वादी रमेश कुमार पुत्र कालुराम के स्थान पर राकेश कुमार पुत्र कालुराम शुद्धि किया जाना प्रस्तावित हैं। अतः तहसीलदार

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:51:06 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जाँच रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादी का नाम रमेश कुमार पुत्र कालूराम के स्थान पर राकेश कुमार पुत्र कालूराम राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 39, 43 कुल किता–2 कुल रकबा 1.9700 हैक्टर में 1/8 हिस्सा की खातेदारी में वादी का नाम रमेश कुमार पुत्र कालूराम के स्थान पर राकेश कुमार पुत्र कालूराम उद्घोषित किया जाता है तथा वादपत्र में सन्दर्भित कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में रमेश कुमार पुत्र कालूराम के स्थान पर राकेश कुमार पुत्र कालूराम का नाम राजस्व अभिलेख राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त फरमाये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:51:06 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)